संख्या–347 /VI/2004–257 पर्य0/2003

प्रेषक,

ए0के0 घोष,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून : दिनांक 17 दिसम्बर, 2004

विषयः–वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–373/2–7–156/2004–05 दिनांक 20–11–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु रू0 5.00 करोड़ (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जायेगा।

3–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। व्यय करते समय पहले विगत वर्ष की सूची के अनुसार बचे अभ्यर्थियों को ही अनुदान प्राथमिकता के आधार पर विवरित किया जायेगा। उक्त अनुदान के 80 प्रतिशत के उपयोग के उपरांत ही इस वित्तीय वर्ष में अगली किश्त स्वीकृत की जायेगी।

4–उक्त धनराशि निदेशक द्वारा आहरित कर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के खाते में रखी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ही लाभार्थियों के चयन एवं जनपदो से मांग के बाद तदनुसार ही आहरित/व्यय की जायेगी । इस धनराशि पर परिषद से जो भी ब्याज आदि की धनराशि प्राप्त होगी उसे यथा समय ही राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

5–उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नही होगा।

6–वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे 31–03–2005 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

NIC 883

7–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8–व्यय करने के उपरांत लाभार्थियों का विवरण उनको स्वीकृत किये जाने वाले ऋण व अनुदान का विवरण भी दिनांक 31–03–2005 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्द्धन तथा प्रचार––07–ऋण उपादान/स्वरोजगार योजना (जिला योजना)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जाएगा।

10–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1934/वित्त अनु0–3/2004, दिनांक 04 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– /VI/2004–257पर्य0/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4–श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5–समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
6–वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
7–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
8–निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
9–अपर सचिव, नियोजन,उत्तरांचल शासन।
10–निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

16/12/04

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव